

भीलवाड़ा जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड, भीलवाड़ा

5 कि.मी., अजमेर रोड, भीलवाड़ा-311001

(आई.एस.ओ. 9001:2008 एवं आई.एस. 15000:1998 एच.ए.सी.सी.पी. प्रमाणित संगठन)

No. BZDUSS/Engg./2018-19/

21366-75

Dated 19.11.2018

NOTICE INVITING TENDER


E-Tender are invited for "Bolero With A.C. Jeep Transportation for field work at Bhilwara Dairy (Rajasthan)" at website <http://eproc.rajasthan.gov.in> as per details given in the tender documents available therein. Tender forms can also be viewed / downloaded from our website www.bhilwaradairy.com, <http://sppp.rajasthan.gov.in> i.e. SPP Portal M.D. Bhilwara Milk Union reserves the right to accept or reject any or all tenders in part or full without assigning any reason thereof.

Requirement	: Three Bolero
Model	: 2018
Estimated Cost of work	: 7.00 Lacs (each Bolero)
Earnest Money (By D. D. Only in favour of, BZDUSS Ltd. payable at Bhilwara)	: 14,000.00 (Per Bolero)
TENDER FEES (By D. D. Only in favour of MD, BZDUSS Ltd. payable at Bhilwara)	: 500
TENDER PROCESSING FEES	: Rs.500/- by Demand Draft only in favour of MD, RISL, payable at Jaipur.
Date & Time of Downloading of Tender	: 20.11.2018 9:30 AM to 20.12.2018 5:00PM
Date of Submission of Tender	: 21.12.2018 (3:00 PM)
Date & Time of opening of Technical/Financial bid	: 24.12.2018 11:00 AM
Completion period of work	: 1 Year

Note:

Demand draft of Tender fees and EMD along with processing fees should be deposited in physical form up to 22.12.2018 (03.00 PM) in **Engg. Section**,

भीलवाड़ा डेयरी
2018-19



प्रबन्ध संचालक
Managing Director
भीलवाड़ा डेयरी संघ लि.
भीलवाड़ा 311001

निविदादाता के
हस्ताक्षर मय सील

भीलवाड़ा जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड, भीलवाड़ा

5 कि.मी., अजमेर रोड़, भीलवाड़ा-311001

(आई.एस.ओ. 9001:2008 एवं आई.एस. 15000:1998 एच.ए.सी.सी.पी. प्रमाणित संगठन)

E-TENDAR FORM

FOR

Bolero With A.C. Jeep Transportation for field work at Bhilwara Dairy

Bhilwara Milk Union, Bhilwara (Rajasthan).

BHILWARA ZILA DUGDH UTPADAK SAHKARI SANGH LTD.

5 K.M. AJMER ROAD,

BHILWARA . PIN – 311001 [RAJ]

Post Box No. – 46 , pabx(01482) 264318 . M.D. (O) 264885 .

Email: bhldairyengg@yahoo.com Visit Us: www.bhilwaradairy.com



भीलवाड़ा डेयरी
2018-19

निविदादाता के
हस्ताक्षर मय सील

भीलवाड़ा जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड, भीलवाड़ा

5 कि.मी., अजमेर रोड, भीलवाड़ा-311001

(आई.एस.ओ. 9001:2008 एवं आई.एस. 15000:1998 एच.ए.सी.सी.पी. प्रमाणित संगठन)

Instruction to Bidders for online tendering (e-tendering)

1. The bidders who are interested in bidding can download tender documents from

<https://eproc.rajasthan.gov.in>

2. Bidders who wish to participate in this tender will have to register on <http://eproc.rajasthan.gov.in>. To participate in online tenders, Bidders will have to procure Digital Signature Certificate (type II or type III) as per Information Technology Act-2000 using which they can sign their electronic bids. Bidders can procure the same from any CCA approved certifying agency, i.e. N-code, e-Mudra, Sify (safe crypt) etc. or they may contact e-Procurement Help Desk, Raj comp (RISL), Yojana Bhawan, Tilak Marg, Jaipur for further assistance. Bidders who already have a valid Digital Certificate need not procure a new Digital Certificate.



3. Contact Details of e-Procurement Cell (Bhilwara) are given below:

- Contact No: (01482) 264318 . M.D. (O) 264885
- E-mail: eproc@rajasthan.gov.in
- Address: e-Procurement Cell, RISL, Yojana Bhawan, Tilak Marg, C-Scheme, Jaipur

4. Bidder shall submit their offer on-line in Electronic formats both for technical and financial proposal, however D.D. for Tender Fees, Processing Fees and E.M.D. should be submitted manually in the office of Tendering Authority before the date & time of opening of technical bids and scanned copy of D.D. should also be uploaded along with the online bid.

5. Before electronically submitting the tenders, it should be ensured that all the tender papers including conditions of contract are digitally signed by the tenderer.

6. Training for the bidders on the usage of e-Tendering System is also being arranged by RISL on regular basis. Bidders interested for training may contact e-Procurement Cell, RISL for booking the training slot.



3



भीलवाड़ा जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड, भीलवाड़ा

5 कि.मी., अजमेर रोड़, भीलवाड़ा-311001

(आई.एस.ओ. 9001:2008 एवं आई.एस. 15000:1998 एच.ए.सी.सी.पी. प्रमाणित संगठन)

PART - 1 (A)

1	Tender Name	:	Bolero With A.C. Jeep Transportation for field work at Bhilwara Dairy
2	Name of Firm	:
3	Address & Tel.	:
5	PAN No.	:
6-1	Earnest Money Bank Name & D.D. No.	:
7	TENDER FEES(Rs.400) Bank Name & D.D. No.	:
8	TENDER PROCESSING FEES (Rs.500) MD, RISL, payable at Jaipur. Bank Name & D.D. No.	:
9	रजिस्ट्रेशन संख्या	:	
10	वाहन का प्रकार	:
11	मेक / वाहन का मॉडल	:
12	वाहन फिटनेस, बीमा, परमिट, (छाया प्रति संलग्न करें)	:



4

भीलवाड़ा जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड, भीलवाड़ा


5 कि.मी., अजमेर रोड़, भीलवाड़ा-311001

(आई.एस.ओ. 9001:2008 एवं आई.एस. 15000:1998 एच.ए.सी.सी.पी. प्रमाणित संगठन)

निविदा प्रपत्र भाग - "अ"

शर्तें एवं नियम

1. निविदादाता द्वारा **eproc Site** से निविदा फार्म डाउन लोड कर प्रत्येक पेज पर हस्ताक्षर कर निविदा में मांगे गये दस्तावेजों की प्रतिलिपि के साथ अमानत राशि की डी.डी, टेण्डर फॉर्म फीस की डी.डी., टेण्डर प्रोसेसिंग फीस डी.डी, की छाया प्रतिलिपि उपरोक्त समस्त दस्तावेज "अ"पार्ट में संलग्न कर **eproc** पर अपलोड करना होगा।
2. निविदा फार्म दो पार्ट में यथा-भाग "अ" एवं "ब" में होगा। पार्ट-"अ" में सक्षम पाये जाने पर ही पार्ट-"ब" खोला जायेगा। पार्ट -"ब" में सिर्फ दर देनी होगी।
3. पेन कार्ड, वाहन के रजिस्ट्रेशन/बीमा, फिटनेस, टैक्सी परमिट की फोटो कॉपी पार्ट-"अ" में **eproc** पर अपलोड करना होगा।
4. संघ में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी/संचालक मण्डल के सदस्य एवं उनके परिवार के आश्रित सदस्य (स्वयं, पत्नी, आश्रित पुत्र एवं पुत्र वधु) निविदा में भाग नहीं ले सकेंगे।
5. निविदा/समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये अस्वीकृत करने एवं नेगोशियेशन करने का अधिकार प्रबन्ध संचालक को होगा।
6. आदेश मिलने के सात दिवस में वाहन कार्य पर लगाना होगा। अन्यथा अमानत राशी जब्त कर ली जावेगी।
7. निविदादाता संघ के अभि० विभाग में की निविदा के भाग-(अ) के साथ **earnest money** रू० 14,000/- (अक्षरे-चौदह हजार रुपये मात्र) की डी०डी० भी.जि.दु.उ.स.संघ लि. भीलवाड़ा के नाम की बनाकर संघ में जमा करावे, जिसकी छायाप्रति निविदा के साथ ऑन लाईन अपलोड करनी होगी, अन्यथा निविदा अमान्य कर दी जावेगी।
8. टेण्डर **processing fees** राशि 500/- रुपये का डी०डी० MD RISL Jaipur के नाम से व **tender fees** राशि 500/- रुपये की डी०डी० भी.जि.दु.उ.स.संघ लि. भीलवाड़ा के नाम की बनाकर संघ में जमा करावे, जिसकी छायाप्रति निविदा के साथ ऑन लाईन अपलोड करनी होगी, अन्यथा निविदा अमान्य कर दी जावेगी।
9. सफल निविदाकर्ता को निर्धारित प्रपत्र में रू० 500/- के स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध भरना होगा।
10. सफल निविदादाता की संघ में जमा अमानत राशि रू. 14,000/- (अक्षरे चौदह हजार रू० मात्र) को सिक्क्योरिटी राशि के रूप में समायोजित कर दिया जावेगा। जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
11. वाहन ड्राइवर, लाईसेन्सधारी, पढा-लिखा, अनुभवी, व्यवहार कुशल एवं किसी नशे का आदी नहीं होना चाहिये। सेवा के दौरान साफ-सुथरी गणवेश में रहना चाहिये। अधिकारियों के निर्देश की अवहेलना करने पर चालक को हटाया जा सकेगा। चालक की सेवायें संतोषजनक न होने की स्थिति में हटाना (तुरन्त प्रभाव से) आवश्यक होगा।
12. अनुबन्धकर्ता अपनी अनुबन्ध अवधि में अन्य किसी पार्टी/संस्था/व्यक्ति से अन्य कोई ऐसा अनुबन्ध नहीं कर सकेगा जो कि संघ के हित में नहीं हो और न ही अनुबन्ध को पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से किसी अन्य को उपभाडा (सबलेट) कर सकेगा। ऐसी स्थिति में संघ प्रबन्धन को अनुबन्ध निरस्त करने का अधिकार होगा।
13. वाहन प्रतिदिन संघ कार्यालय सुरक्षा गेट पर इन्द्राज कर सक्षम अधिकारी के निर्देशानुसार समय पर उपलब्ध करना होगा। जिसकी पालना वाहन ठेकेदार को करनी होगी।
14. निविदादाता के स्वयं के नाम वाहन का रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य होगा। वाहन सेल लेटर या एग्रीमेन्ट टू सेल या पावर ऑफ अटार्नी मान्य नहीं होगी।




भीलवाड़ा जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड, भीलवाड़ा

5 कि.मी., अजमेर रोड़, भीलवाड़ा-311001

(आई.एस.ओ. 9001:2008 एवं आई.एस. 15000:1998 एच.ए.सी.सी.पी. प्रमाणित संगठन)

15. अनुबन्ध अवधि एक वर्ष के लिये होगी जिसे दोनो पक्षों की सहमति से अगले एक-एक वर्ष कुल दो वर्ष की अवधि के लिए और बढ़ाया जा सकता है। अनुबन्ध की अवधि बढ़ाने का अंतिम निर्णय संघ प्रबन्धन को होगा। कुल तीन वर्ष की अनुबन्ध अवधि समाप्त होने पर अनुबन्ध की अवधि तीन माह अथवा नई निविदा होने तक बढ़ाने हेतु संघ स्वतंत्र होगा।
16. परिवहन ठेकेदार अपने स्तर पर बिना संघ की पूर्व अनुमति के ठेका स्थानान्तरित नहीं कर सकेगा। ऐसी स्थिति में प्रबन्ध संचालक द्वारा अनुमति देने पर स्थानान्तरण शुल्क रू0 1000/- (अक्षरे एक हजार रू0 मात्र) होगा।
17. वाहन कम्प्रीहेन्सिव बीमा सहित टैक्सी परमिट ए0सी0 वाहन एवं 2018 मॉडल से पुराना नहीं होना चाहिये एवं मेकेनिकल फिट कण्डीशन में होना चाहिये। गाडी में धूल, पानी से सुरक्षा, ईंजन गर्मी नहीं फेंकने वाला, अन्दर-बाहर समुचित प्रकाश, एवं मेटिंग की व्यवस्था होनी चाहिये। निविदा के समय गाडी की कण्डीशन जांच करानी होगी। यदि निविदादाता द्वारा निविदा प्रपत्र में नया वाहन अंकित किया जाता है/प्रस्तुत किया जाता है, तो उसको नये वाहन की दरें स्वीकृत होने पर 15 दिवस में वाहन एवं सम्पूर्ण कागजात प्रस्तुत करना होगा अन्यथा अमानत राशि जब्त कर ली जायेगी।
18. वाहन को संघ की आवश्यकतानुसार अन्य सेवा अधिकारियों के उपयोग, समिति के उपयोग, सामान लाने-लेजाने के लिये निविदा की शर्तों पर दरों के अधीन प्रबन्ध संचालक अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत सक्षम अधिकारी के निर्देश पर प्रयोग में लाया जा सकेगा।
19. वाहन खराब होने पर दूसरे वाहन की वैकल्पिक व्यवस्था वाहन ठेकेदार को अपने स्तर पर करनी होगी।
20. वाहन फिल्ट्र कार्य व अन्य कार्य में उपयोग लिया जायेगा।
21. संघ द्वारा जारी निर्देशों की अवहेलना करने पर, शर्तों का उल्लंघन करने पर आर्थिक दण्ड लगाया जा सकेगा व प्रबन्ध संचालक के निर्णय से ठेका समाप्त भी किया जा सकता है।
22. परिवहन ठेकेदार को कच्चे व पक्के मार्ग पर संघ के निर्देशानुसार जाना होगा।
23. कार्यादेश प्राप्त होने पर ठेकेदार वाहन निरीक्षण हेतु प्रस्तुत करना होगा। लीगली अनफिट वाहन सिद्ध होने पर धरोहर राशि जब्त की जाकर अन्य व्यक्ति को कार्यादेश दिया जा सकता है।
24. संघ की अनुमति के बिना वाहन ठेकेदार अपने वाहन में कोई सवारी/माल, कार्य के समय नहीं ले जा सकेगा। ऐसा होने पर अधिकृत अधिकारी द्वारा उचित आर्थिक दण्ड लगाया जा सकेगा।
25. वाहन ठेकेदार अपना अनुबन्ध पूर्ण करने से पूर्व ठेका छोड़कर चला जाता है तो संघ खाते में निविदा की जमा धरोहर राशि को जब्त कर ली जावेगी।
26. डीजल की दरों में सरकार द्वारा वृद्धि/कमी किये जाने पर मासिक अनुपात के औसत से एक रुपये वृद्धि / कमी होने पर ही उसी अनुपात से 15 किलो मीटर अनुमानित औसत प्रति लीटर खपत के हिसाब से दरों में वृद्धि / कमी की जायेगी।
27. अनुबन्ध अवधि समाप्ति पर वाहन ठेकेदार को संघ के सम्बन्धित अनुभागों से बकाया नहीं प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे। इसके बाद ही सिक्यूरिटी राशी भुगतान की कार्यवाही की जा सकेगी।
28. वाहन का बिल सम्बन्धित प्रभारी अधिकारी से प्रमाणित करवाकर मासिक रूप से हर माह की 5 तारीख तक निश्चित रूप से यातायात कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। बिल का भुगतान हर माह की 15 तारीख तक रेखांकित चैक से किया जायेगा। असामान्य परिस्थिति में देरी होने पर बकाया भुगतान पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
29. किसी विशेष परिस्थितियों में संघ को वाहन की आवश्यकता नहीं होने पर सात दिवस के नोटिस पर अनुबन्ध समाप्त किया जा सकेगा।
30. वाहन चालक/ठेकेदार की लापरवाही से परिवहन के दौरान संघ/समिति को कोई हानि होती है तो वसूली योग्य होगी।




भीलवाड़ा जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड, भीलवाड़ा

5 कि.मी., अजमेर रोड़, भीलवाड़ा-311001

(आई.एस.ओ. 9001:2008 एवं आई.एस. 15000:1998 एच.ए.सी.सी.पी. प्रमाणित संगठन)

31. संघ परिसर में वाहन पर नियुक्त चालक द्वारा चोरी करते हुये पाये जाने पर माल की कीमत का 10 गुना शास्ती के रूप में वसूली जायेगी। ऐसे व्यक्ति को तत्काल सेवा से मुक्त करना होगा व संघ परिसर में उसका प्रवेश निषेध होगा।
32. आवश्यकता पड़ने पर अनुबन्ध शर्तों में परिवर्तन करने का अधिकार भीलवाड़ा दुग्ध संघ को होगा।
33. वाहन को राज्य के बाहर भेजने पर कोई भत्ता/चार्ज देय नहीं होगा, किन्तु सीमा टैक्स वाहन मालिक द्वारा भरा जायेगा जिसकी रसीद प्रस्तुत करने पर राशी का पुनर्भरण किया जायेगा।
34. राज्य में एवं राज्य के बाहर वाहन जाने पर स्वीकृत टोलटेक्स/पथकर की राशी का भुगतान रसीद प्रस्तुत करने पर किया जायेगा।
35. वाहन हर समय स्वच्छ, सीटों पर कॅवर, हुड पोचिस अच्छी स्थिति में तथा वाहन में वर्षा, सर्दी, गर्मी से बचाव की व्यवस्था होनी चाहिये।
36. वाहन की लॉग बुक सदैव साथ रखनी होगी एवं यात्रा समाप्ति के बाद तुरन्त सम्बन्धित अधिकारी से भरवानी होगी। लॉग बुक अपूर्ण पाये जाने पर शास्ती भी लगाई जा सकेगी।
37. संघ कार्य के दौरान वाहन द्वारा किसी प्रकार की दुर्घटना, पुलिस केस, आबकारी केस आदि होने की स्थिति में समस्त हर्जे-खर्चे के लिये वाहन ठेकेदार जिम्मेदार रहेगा। वाहन के डीजल, टैक्स, मरम्मत इत्यादि की व्यवस्था स्वयं ठेकेदार को करनी होगी।
38. ठेकेदार, संस्था, फर्म अथवा सेवा प्रदाता केन्द्रीय/राजकीय कर, अधिकर, शुल्क, लेवी, सेवाकर इत्यादि के लिये ठेकेदार/अनुबन्धकर्ता स्वयं व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगा। नियमानुसार आयकर की कटौती ठेकेदार के बिल से की जावेगी।
39. सभी प्रसंगों का न्याय क्षेत्र केवल भीलवाड़ा की अदालत के न्याय अधिकार क्षेत्र में आयेगा।
40. निविदादाता के वाहन चालक द्वारा सक्षम अधिकारी से वाहन मांग-पत्र पर हस्ताक्षर करवाकर एवं कि०मी० अंकित कर दुग्ध संघ के मेन गेट पर यातायात रजिस्टर में इन्द्राज करवाकर ही वाहन उपयोग में लिया जावेगा। अन्यथा दुग्ध संघ द्वारा कि०मी० देय नहीं होंगे।
40. निविदादाता द्वारा भाग "ब" में मय ए०सी० वाहन की प्रति कि०मी० दर निविदा में अंकित करना होगा।
41. निविदा में प्राप्त दर स्वीकृत किये जाने के पश्चात् संघ कार्यादेश की कार्य अवधि दिनांक से पूरे माह में दर प्रभावी मानी जावेगी। तदपश्चात् अगले माह की 1 तारिख से सरकार द्वारा डीजल की दरों में वृद्धि/कमी किये जाने पर मासिक अनुपात से वृद्धि / कमी की जावेगी।



भीलवाड़ा जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड, भीलवाड़ा

5 कि.मी., अजमेर रोड़, भीलवाड़ा-311001

(आई.एस.ओ. 9001:2008 एवं आई.एस. 15000:1998 एच.ए.सी.सी.पी. प्रमाणित संगठन)

ई-निविदा पार्ट-"ब"

Bolero with A.C. Jeep Transportation for field work at Bhilwara Dairy

1. निविदादाता का नाम :
2. निविदादाता के पिता का नाम :
3. निविदादाता का पता :
4. निविदादाता का मोबाईल न० :

संघ द्वारा प्रकाशित ई-निविदा सूचना को एवं निविदा फार्म में उल्लेखित सभी शर्तों व उपबन्धों को मैंने पढ़ लिया है, जो मुझे पूर्णतः स्वीकार है, जिसके सहमति प्रमाणस्वरूप मैंने/हमने निविदा फार्म भाग-'अ' पर हस्ताक्षर किये हैं। फिल्ड कार्य एवं अन्य उपयोग हेतु जीप परिवहन की मेरी /हमारी अंतिम दर निम्नानुसार है:-

दर मय ए०सी० प्रति कि० मी०(अंको में) :

दर मय ए०सी० प्रति कि० मी०(शब्दों में) :

प्रबन्ध संचालक

भीलवाड़ा Managing Director. स. स. लि.

भीलवाड़ा 311001

निविदादाता के हस्ताक्षर

नाम

पता

फोन/मोबाईल नं०

